-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में कार्यवाही करते हुए बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित लगभग 6.08 लाख रुपये की चल सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर तथा चोरी करके अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र के एक अभियुक्त की आपराधिक कार्यों/ चोरियों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से **अर्जित की गई 6.08 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है**। अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप, समाज में भय व्याप्त कर, गैंग बनाकर चोरी कर अवैध रुप से संम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना चिल्ला पर **मु0अ0सं0 60/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986** पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना तिन्दवारी श्री सुरेश कुमार सैनी द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों/चोरी करके अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.06.2025 को अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित की गई **06 लाख 08 हजार रुपये** की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।

अभियुक्त का विवरण -

1. विकास पुत्र श्याम निवासा लौहार गढ़वा थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

जब्त चल सम्पत्ति का विवरण-

1. ट्रैक्टर U UP71AU8836 अनुमानित कीमत 06 लाख 8 हजार रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास उपरोक्त।

1. मु0अ0सं0 60/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 93/22 धारा 380/457/411/413 भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 45/22 धारा 380 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 70/22 धारा 380 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।